(वाद संख्या–1799/14)

02.08.2019

परिवादी श्रीमती अर्चना कुमारी के आज दाखिल आवेदन पर संचिका उपस्थापित की गई, परिवादी स्वयं उपस्थित है।

परिवादी का कथन है कि उसके साथ लगातार कुछ लोगो द्वारा उसका पीछा कर उसे मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, उसकी ओर से आयोग को यह भी सूचित किया गया है कि उक्त के संबंध में उसके द्वारा कुछ नामांकित व अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध गया जिला अन्तर्गत बुनियादगंज थाना कांड सं0–108/13, दिनांक 16.12.2013 (भा0द0वी0 धारा 354(ए0, (डी0) के अन्तर्गत) बुनियादगंज थाना कांड संख्या–137/16, दिनांक 30.08.2016 (भा0द0वी0 धारा 354/13 के अन्तर्गत) संस्थित किया गया है। पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों काडों में से मात्र बुनियादगंज थाना कांड संख्या–108/13, दिनांक 16.12.2013 के अन्तर्गत दो प्राथमिक अभियुक्तों (1) संजीव कुमार पान (2) रंजीत कुमार उर्फ रंजीत पटवा तथा दो अप्राथमिक अभियुक्तों (3) विश्वनाथ खतरी उर्फ विश्वनाथ कपूर तथा (4) दिनेश कुमार के विरूद्ध अन्वेषणोपरान्त आरोप पत्र समर्पित किया गया है, जबकि शेष बुनियादगंज थाना कांड संख्या–137/16 वर्त्तमान में अनुसंधार्न्तगत है। परिवादी का आयोग के समक्ष यह भी कथन है कि अभी भी कुछ लोगो द्वारा, जिसमे कुछ बिहार पुलिस के सिपाही भी है, परिवादी के साथ उसकी स्त्रीत्व लज्जा भंग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रही है।

उपरोक्त दौनों कांडों के संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक, गया द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से परिवादी का यह कथन सत्य प्रतीत होता है कि तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी परिवादी की ओर संस्थित बुनियादगंज थाना कांड संख्या–137/16 अन्वेषणाधीन है।

उक्त संबंध में दिनांक 24.09.2019 के पूर्व वरीय पुलिस अधीक्षक, गया से प्रतिवेदन की मांग की जाय।

परिवादी के उपस्थिति में आज आदेश पारित किया गया है। अतः अगली निश्चित तिथि के सूचना के संबंध में परिवादी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

संचिका दिनांक 24.09.2019 को उपस्थापित की जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष